

“समझौता ज्ञापन”

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2014 के महीने की 12/12/014 की निष्पादित किया गया है।

1- यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2- यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम किया जायेगा।

3- यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किये जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।


अधिशासी अभियन्ता
कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर
पोखरी (घमोली)
नाम:- आर0पी0 सिंह
पदनाम:- अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी

नाम भूमिधर
जसपालसिंह
वीरसिंह
रणजीतसिंह
अनसुयाप्रसाद
नन्दादेवी
विशम्बरदत्त

हस्ताक्षर
जसपालसिंह
Bm
Ranajit
अनसुयाप्रसाद
नन्दादेवी
विशम्बरदत्त

उपजिलाधिकारी
श्रद्धा जिलाधिकारी
पोखरी

जिलाधिकारी
घमोली